

—: आदेश :-

दिनांक :-17.02.2023

प्रार्थीगण के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र व तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बबाई की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 3 में एवं श्री अशोकनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 के खाता संख्या 54 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो, तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल हो।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	बबाई	3	कन्हैयालाल पुत्र जोरीलाल कालूराम पुत्र जोरीलाल मोटी पुत्री जोरीलाल	कन्हैयालाल पुत्र जोरूराम तेजाराम पुत्र जोरूराम मूली देवी पुत्री जोरूराम
2.	श्री अशोकनगर	54	कन्हैयालाल पुत्र जोरीलाल तेजाराम पुत्र जोरीलाल मूली पुत्री जोरीलाल	कन्हैयालाल पुत्र जोरूराम तेजाराम पुत्र जोरूराम मूली देवी पुत्री जोरूराम

(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

दिनांक :-20.2.23

क्रमांक :- राजस्व/2023/241-242

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थीगण कन्हैयालाल पुत्र जोरूराम आदि निवासीगण ढाणी धाबाला तन् बबाई तह. खेतड़ी जिला झुझुनू को वास्ते सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी